आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

P.N. 70 10.10.17

....

<u>विविध वाद संख्या–139/2017</u>

<u>धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>

बनारसी देवी उर्फ तेतरी देवी ------------------ प्रथम पक्ष

<u>बनाम</u>

हरिहर सिंह वगैरह ---------------------- द्वितीय पक्ष

24.8.17

यह प्रक्रिया धारा 144दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आवेदिका बनारसी देवी उर्फ तेतरी देवी पति इश्वरी सिंह ग्राम–केरकी कला, पोस्ट–डाली, थाना–छत्तरपुर, जिला–पलामू ने 1. हरिहर सिंह पिता स्व0 भोला सिंह 2. नागेश्वर सिंह पिता स्व0 अमर दयाल सिंह 3. नैन सिंह पिता स्व0 भोला सिंह 4. त्रिवेणी सिंह, 5. मोती सिंह दोनों के पिता शंकर सिंह 6. गोलाई सिंह पिता स्व0 फिरंगी सिंह 7.नगीना सिंह 8. कर्मदेव सिंह दोनों के पिता सूर्यदेव सिंह 9.नौजादी सिंह पिता स्व0 तपेश्वर सिंह सभी ग्राम– केरकी कला, पोस्ट–डाली, थाना–छत्तरपुर, जिला–पलामू के विरूद्ध कार्रवाई हेतु आवेदन–पत्र दाखिल किया गया। उक्त आवेदन पत्र के अलोक में थाना प्रभारी, छत्तरपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। थाना प्रभारी, छत्तरपुर ने अप्राथमिकी संख्या– 1473/17, दिनांक 20.06.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। जाँच प्रतिवेदन में उभय पक्षों के बीच उक्त भूमि को लेकर कोई अप्रिय घटना नहीं घट सके तथा शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए धारा 144दं0प्र0सं0 लगाते हुए निरोधात्मक कार्रवाई हेतु

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अनुशंसा किया गया है। विवादित भूमि का विवरण मौजा-केरकीकला, खाता सं0-32, प्लॉट सं0- $\frac{376}{A}$, रकबा-0.90डी, चौहद्दीः- उतर- वन सीमा, दक्षिण-प्रयाग सिंह ,पुरब-वन सीमा, पश्चिम- नीज एवं खाता सं0-32, प्लॉट सं0- $\frac{376}{B}$, रकबा-0.10डी, चौहद्दीः- उतर- नीज, दक्षिण-भोला सिंह, पुरब-नीज, पश्चिम- परती झाड़ी के लिए उभय पक्षों के उपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रक्रिया कायम कर उभय पक्षों को जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये। प्रथम पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि मौजा-केरकी कला, खाता सं0-32, प्लॉट सं0- $\frac{376}{A}$, रकबा-0.90डी, चौहद्दीः- उतर- वन सीमा, दक्षिण-प्रयाग सिंह ,पुरब-वन सीमा, पश्चिम- नीज एवं खाता सं0-32, प्लॉट सं0- $\frac{376}{B}$, रकबा-0.10डी, चौहद्दीः- उतर- नीज, दक्षिण-भोला सिंह, पुरब-नीज, पश्चिम-परती झाड़ी भूमि बंदोबस्ती वाद संख्या-26/2001-02 से बनारसी देवी उर्फ तेतरी देवी को प्राप्त है। जिसकी सरकारी लगान रसीद कटते चला आ रहा है। आगे यह भी कथन है कि विवादी भूमि का सीमांकन, सीमांकन वाद सं0-05/2016-17 के द्वारा' हो चुका है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा का सार यह है कि उपरोक्त खाता संख्या– 32 जिसमें 1994–95 में जवाहर रोजगार योजना से तालाब बनाया गया है। विपक्षी का कहना है कि सार्वजनिक स्थल जैसे तालाब, आहर, पोखर, झरना, बांध, नाला, मंदिर, मस्जिद, इत्यादि पर धारा 144 दं0प्र0सं नहीं चल सकता है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूना। अभिलेख में संलग्न उभय पक्षों के कारण पृच्छा एवं प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष विपक्षी के दावे को असत्य साबित करने में असफल रहे है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** 4/8/17 **अनुमंडल दंडाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)। 4/8/17 **अनुमंडल दंडाधिकारी,** छत्तरपुर (पलामू)।	